UPLL010010762026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम / विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि०), ललितपुर।

उपस्थित - यादवेन्द्र सिंह।, उच्चतर न्यायिक सेवा,

J.O. CODE- UP-6123

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 292 वर्ष 2026,

किशोरी पुत्र सुक्कू पाल निवासी मुहल्ला आजादपुरा ललितपुर थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य

...अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध संख्या 2752/2022
अंतर्गत धारा 135 Electricity Act
थाना एण्टी पॉवर थेफ्ट ललितपुर, जिला ललितपुर।

आदेश

11-03-2026:

अभियुक्त **किशोरी पुत्र सुक्कू पाल** की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र विशेष सत्र परीक्षण संख्या 79/026**,** उ.प्र. राज्य प्रति **किशोरी**, अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनयम, थाना एंटी पावर थेफ्ट ललितपुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त का कथन है कि वह बेगुनाह व बेकसूर है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वादी मुकदमा ने उसको झूठा फंसा दिया है। उसने कभी भी किसी प्रकार से कोई विद्युत चोरी नहीं की है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया गया है। अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। इसी आधार पर अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्युत विभाग की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर विरोध करने हेतु विद्युत विभाग का पैरोकार उपस्थित है।

जमानत आवेदन पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्त के तर्क सुने तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर दिनांक **23.08.2022** को चैकिंग के दौरान अपने परिसर पर संचालित विद्युत संयोजन संख्या 3536114000LMV-1, 01 KV पर स्थापित मीटर संख्या 72524134 को क्लैम्प मीटर द्वारा स्वीकृत केबिल चैक करने पर क्लैम्प मीटर में

Digitally signed by YADAVENDRA SINGH
Date: 2026.03.26 19:43:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

1.2 एम्पियर धारा एवं परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर में 0.3 एम्पियर धारा प्रदर्शित हो रही थी। संदिग्ध होने के कारण उपभोक्ता के मीटर की जांच मौके पर जांच समीति के समक्ष उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति मे विडियोग्राफी करते हुये उपभोक्ता के परिसर के बाहर की गयी। जांच के दौरान मीटर बॉडी की प्लास्टिक व पेपर सील टैम्पर्ड पायी गयी, मीटर की बॉडी ग्लू से चिपकाई हुयी पायी गयी। मीटर के पी०सी०वी० वार्ड में एक अतिरिक्त प्रतिरोध पाया गया। मीटर को टेम्पर घोषित किया गया एवं मीटर 75 % धीमा पाया गया।

अभियुक्त आत्म समर्पण करने के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। मामला इसी न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। मामले के शीघ्र निस्तारण की संभावना अत्यंत क्षीण प्रतीत होती है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का पर्याप्त आधार है।

यह भी उल्लेखनीय है, कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्रांक **14293/Admin. G-II Dated 04-11-2025** के माध्यम से **Crl. Misc. Application U/S 528 BNSS No. 6400 of 2025 Smt. Bacchi Devi v. State of U.P. And Another** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनोंकित **12-08-2025** के **प्रस्तर क्रमांक 46** में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियुक्त/सिद्धदोष अभियुक्त से केवल एक प्रतिभू लेकर जमानत पर रिहा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुबलिग 25000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि का एक जमानत प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाता है।

(यादवेन्द्र सिंह-I),
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम /
विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम),
ललितपुर।
J.O. CODE-UP-6123